श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, इंदौर

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड़, इंदौर- 452007

दूरभाष: 0731- 2432822,फैक्स: 0731-2536600

ई-मेल: lcmpenf@mp.gov.in वेबसाईट: http://labour.mponline.gov.in

क्रमांक 227/ऑफला/नवम/प्रवर्तन/2024/ 4157-356 इंदौर, दिनांक 18/2/2026

प्रति,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष,

(2) समस्त जिलाध्यक्ष,

(3) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय– न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 01.04.2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों, एरियर भुगतान बाबद ।

उक्त विषयांतर्गत श्रम विभागीय, अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च, 2024 (म.प्र.असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च, 2024) द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों को देय न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से पुनरीक्षित की गई थी। (अधिसूचना की प्रति संलग्न है।)

उक्त अधिसूचना के विरूद्ध दि मध्यप्रदेश टेक्सटाईल मिल्स एसोसिएशन एवं अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर में याचिका क्रमांक WP.10772/2024, क्र. 9401/2024, क्र. 11921/2024 एवं क्र. 12606/2024 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर से पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 एवं सहपठित आदेश दिनांक 21.05.2024 द्वारा श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों की प्रभावशीलता पर स्थगन दिया गया था।

तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर द्वारा उक्त याचिकाओ पर दिनांक 10.02.2025 तथा दिनांक 20.03.2025 को पारित आदेश अनुसार श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरें, समय-समय पर देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित पुन: प्रभावशील हो गई हैं।

न्यूनतम वेतन दरों के भुगतान के संबंध में कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक 6891 दिनांक 28.02.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा भी पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों की प्रभावशीलता के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम वेतन दरों के संबंध में समय-समय पर जारी परिपत्र/अधिसूचनाएं आदि विभागीय वेबसाईट/पोर्टल labour.mponline.gov.in पर भी उपलब्ध है।

अत: उक्तानुसार दिनांक 01 अप्रैल,2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय न्यूनतम वेतन दरों का भुगतान समस्त श्रमिकों/आऊटसोर्स कर्मचारियों को कराया जाना अपेक्षित है। यदि उक्तानुसार अवधि हेतु देय वेतन के संबंध में कोई एरियर की राशि बनती है तो उस राशि का भुगतान कराने का अनुरोध है।

(संलग्न – उपर्युक्तानुसार)

Hoode 18/2

(तन्वी हुड्डा)

श्रमायुक्त

मध्यप्रदेश, इंदौर

क्रमांक 227/ऑफ ला/नवम/प्रवर्तन/2024/ 435 - 454 इंदौर, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि:

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. समस्त सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी/ श्रम निरीक्षक (म.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. संचालक/ समस्त संयुक्त संचालक/ उप संचालक/ सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (म.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Hoode

श्रमायुक्त

मध्यप्रदेश, इंदौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे./पांच/2024/ 8621-870 इन्दौर, दिनांक 13/03/2024

अधिसूचना

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

-0-

मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च,2024 के पृष्ठ क्रमांक 135, 136 एवं 136(1) से 136(41) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16 के अनुसार राज्य के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (जनवरी से जून, 2019) 2001= 100 को आधार मानकर संबंद्ध की गई है, जो दिनांक 01 अप्रैल,2024 से लागू है।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को विनियोजित करते हुए प्रभावशील की गई है। माह जुलाई से दिसम्बर,2023 की छः माही का औसत सूचकांक 400 रहा है, अतः इसके कारण गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत (386) के उपर (400-386) = 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक जारी दरे निम्नानुसार रहेगी:-

अनुसूची – अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	9575	368.27	2225	85.58	11800	453.85	454
अर्द्धकुशल	10571	406.58	2225	85.58	12796	492.15	492
कुशल	12294	472.85	2225	85.58	14519	558.42	558
उच्चकुशल	13919	535.35	2225	85.58	16144	620.92	621

अनुसूची –ब

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	9575	368.27	2225	85.58	11800	453.85	454
पेकर, पटटी पेकर, सीपर	10131	389.65	2225	85.58	12356	475.23	475
मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	12294	472.85	2225	85.58	14519	558.42	558
रोलर्स, मिस्त्री पाईन्टर्स	13653	525.12	2225	85.58	15878	610.69	611
उच्चकुशल	13919	535.35	2225	85.58	16144	620.92	621
कटर्स	14444	555.54	2225	85.58	16669	641.12	641

अनुसूची –स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
लिपिकीय वर्ग							
अकुशल	9575	368.27	2225	85.58	11800	453.85	454
श्रेणी एक	12294	472.85	2225	85.58	14519	558.42	558
श्रेणी दो	10571	406.58	2225	85.58	12796	492.15	492
उच्च कुशल	13919	535.35	2225	85.58	16144	620.92	621
कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	13856	532.92	2225	85.58	16081	618.50	619
श्रेणी दो	13473	518.19	2225	85.58	15698	603.77	604
श्रेणी तीन	12294	472.85	2225	85.58	14519	558.42	558
अर्द्ध कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	12294	472.85	2225	85.58	14519	558.42	558
श्रेणी दो	10571	406.58	2225	85.58	12796	492.15	492

अनुसूची –क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(30 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	9575	319.17	2225	74.17	11800	393.33	393
अर्द्धकुशल	10571	352.37	2225	74.17	12796	426.53	427
कुशल	12294	409.80	2225	74.17	14519	483.97	484
उच्चकुशल	13919	463.97	2225	74.17	16144	538.13	538

अनुसूची –द (कृषि नियोजन)

जुलाई से दिसम्बर,2023 छः माही का कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1236 है, इसके पूर्व की छः माही का औसत 1180 था, जिसके कारण 56 बिन्दुओं की वृद्धि होने से कृषि नियोजन में मंहगाई भत्ता सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा :- (30 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	7660	255.33	1836	61.20	9496	316.53	317

बीड़ी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6730 (1960=100) के औसत के उपर 2237 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे दिनांक **01.04.2024 से 31.3.2025** तक निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची – ई (बीड़ी नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रूपये	कुल वेतन रूपये
बीडी रोलर (1000 बीडी बनाने के लिए)	106.81	22.37	129.18

नोट – एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रूपये 129.18 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे 11 रूपये 29 पैसे (8.33%), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 6 रूपये 45 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 13 रूपये 56 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 160 रूपये 48 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 27.12 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि में श्रमिकों से 13 रूपये 56 पैसे एवं नियोजकों से भविष्य निधि कटौती की राशि 13 रूपये 56 पैसे उपरांत शुद्ध राशि 133 रूपये 36 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) के औसत के उपर गत छः माही में औसत सूचकांक 386 के उपर औसत 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची –एफ (अगरबत्ती नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रूपये	कुल वेतन रूपये
(अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण दर	44.25	रू. 22.25	रूपये 66.50
(ब) सुगंधित (सेंटेड)	45.00	रू. 22.25	रूपये 67.25

स्पष्टीकरण – 1- म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.6.2006 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक/मासिक मजदूरी निर्धारित की जाए। तदनुरूप प्रतिदिन रूपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें निर्धारित की जाए।

2- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 9-79-7/2006/नियम/चार, दि. 20 सितंबर,2006 में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगरे उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा।

3- राज्य शासन द्वारा दिनांक 04 मार्च,2024 को जारी एवं म.प्र.असाधारण राजपत्र दिनांक 04 मार्च,2024 में प्रकाशित न्यूनतम मजदूरी की दरें दिनांक 01.04.2024 से प्रभावशील की गई है।

(संजय गुप्ता)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन

(न्यू मोती बंगला, एम.जी.रोड, इन्दौर फोन – 0731- 2432822
फैक्स 0731-2536600 ईमेल lcmpwages@mp.gov.in)

क्रमांक 1/आठ/वेतन/भाग-3/2024/ 6891 इन्दौर, दिनांक 28/02/2025

परिपत्र

विषय –याचिका क्रमांक WP.क्र. 10772/2024 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर के आदेश दिनांक 10 फरवरी,2025 के पालन में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों को लागू किये जाने के संबंध में।

--0--

01/ मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च,2024 (म.प्र.असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च,2024) द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अंतर्गत अधिसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों को देय न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01 अप्रैल,2024 से पुनरीक्षित की गई थी। शासन की उक्त अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 के विरूद्ध दि मध्यप्रदेश टेक्सटाईल मिल्स एसोसिएशन एवं अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में याचिका क्रमांक WP. 10772/2024, क्र. 9401/2024, क्र.11921/2024 एवं क्र.12606/2024 दायर की गई थी।

02/ माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा उक्त याचिकाओं को आदेश दिनांक 10.02.2025 द्वारा निराकृत करते हुए श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च,2024 के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है -

"*15.* Therefore, to secure ends of justice and reflecting upon the stand taken by the State Government, the present petition is being disposed of with direction to the State Government to initiate fresh procedure prescribed under the Act of 1948 for revision of minimum wages for implementation of revised minimum wages from the date of decision taken by Government in consultation of Minimum Wage Advisory Board for Scheduled employment inserted vide notification dated 19.01.2025 viz. Sr. no. 36 (A) Textiles & Made-ups ; Sr. no. 59(A) Apparel Manufacturing (Woven, Knitted and Technical Textiles Fabrics) ;Sr. no. 73 Footwear Manufacturing.

_16._ It would be needless to mention that Petitioner Association shall remain exempted from implications of notification dated 04.03.2024, as interim stay was passed in their favour immediately on 08.05.2024. However, since the issue involves payment of minimum wages to numerous workers and employees, it would be prudent to further direct that the State Government shall make endeavors to conclude aforesaid exercise within a period of 2 months from today and ensure participation of all stakeholders in Advisory Board meetings in the manner and procedure prescribed under the Act of 1948."

निरंतर-2

03/ माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा उक्त आदेश के आलोक में श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च,2024 (म.प्र.असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04.03.2024) द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरें 'किसी टेक्सटाईल, मेड-अप्स, वूवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फेब्रिक से बने हुए अपेरल व फुट वियर निर्माण में नियोजन' को छोडकर, शेष समस्त अधिसूचित नियोजनों पर समय-समय पर जारी देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित पुनः प्रभावशील हो जाती हैं।

04/ श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 15 जनवरी, 2025 (म.प्र.राजपत्र भाग-एक दिनांक 17 जनवरी,2025) में न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में जोडे गए निम्न नियोजनों में माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार न्यूनतम वेतन निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से इन नियोजनों के नियोजकों पर उक्त पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरें प्रभावशील न होकर पुनरीक्षण के पूर्व में लागू न्यूनतम वेतन की दरें, नियमित रूप से समय-समय पर निर्धारित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित लागू होंगी -

1- अनुक्रमांक 36(क) – किसी टेक्सटाईल एवं मेड-अप्स उद्योग में नियोजन

2- अनुक्रमांक 59(क) – किसी वूवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फेब्रिक से बने हुए अपेरल निर्माण में नियोजन

3- अनुक्रमांक 73 – किसी फुट वियर निर्माण में नियोजन

अतः उक्त कंडिका 03 एवं 04 अनुसार समस्त नियोजकों द्वारा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय न्यूनतम वेतन का भुगतान नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर

क्रमांक 1/आठ/वेतन/भाग-3/2024/6892-7140 इन्दौर दिनांक 28/02/2025

प्रतिलिपि –

1- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग/ लोक निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग/ कृषक कल्याण विभाग/ राजस्व विभाग (राहत शाखा)/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ पुनर्वास विभाग/ वन विभाग/ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/सामाजिक न्याय विभाग/नर्मदा घाटी विकास विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल

निरंतर-3

3- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.शासन, भोपाल।

4- आयुक्त जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।

5- संचालक, कृषि विभाग, म.प्र. भोपाल।

6- समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।

7- समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

8- समस्त उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी/ श्रम निरीक्षकों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9- समस्त मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

10-संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इन्दौर।

11- सचिव, म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल।

12-सचिव, म.प्र.शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल।

13-सचिव, म.प्र.स्लेट एवं पैंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल, मंदसौर।

14-कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।

15-लेबर ब्यूरो शिमला (हिमाचल प्रदेश) ।

16-प्रभारी अधिकारी, विधि शाखा, मुख्यालय इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17-प्रभारी अधिकारी, आई.टी.शाखा, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्दौर की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18-प्रभारी अधिकारी, अन्वेषण एवं श्रम कल्याण (शाखा-पांच), मुख्यालय इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

19-समस्त श्रम संगठन, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।

20- समस्त उद्योग एवं व्यवसाय संगठन, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर